न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी
जिला सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी— श्री बृजेन्द्र मीना, आर0ए0एस0

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
135 / 2024	27.12.2024	18.2.2026

1. नवीशाह पुत्र बत्तूशाह, मुसलमान निवासी वार्ड न0 51, गंगापुर सिटी
2. अली हुसैनी पुत्र इस्माईल खान, मुसलमान निवासी वार्ड न0 51, गंगापुर
3. हसीना पत्नी नवीशाह, मुसलमान निवासी वार्ड न0 51, गंगापुर सिटी
4. किशन खटीक पुत्र बजरंगलाल, खटीक निवासी वार्ड न0 51, गंगापुर सिटी

——प्रार्थीगण

बनाम

1. धारासिंह पुत्र जौहरीनाथ, सपेरा, सपेरा बस्ती, कॉलेज के पास, गंगापुर सिटी
2. सुन्दर पुत्र जौहरीनाथ, सपेरा, सपेरा बस्ती, कॉलेज के पास, गंगापुर सिटी
3. दामोदर पुत्र जौहरीनाथ, सपेरा, सपेरा बस्ती, कॉलेज के पास, गंगापुर सिटी
4. मोहरसिंह पुत्र जौहरीनाथ, सपेरा, सपेरा बस्ती, कॉलेज के पास,गंगापुर सिटी
5. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, गंगापुर सिटी
6. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार गंगापुर सिटी ——अप्रार्थीगण

रिव्यू प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 86 लैण्ड रेवन्यु एक्ट बाबत निर्णय
दिनांक 02.08.2024 मु0न0 05 / 2024
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0,

उपस्थित :— श्री तरूण कुमार शर्मा, एडवोकेट, प्रार्थीगण की ओर से
श्री मोहम्मद इस्लाम, एडवोकेट, अप्रार्थी सं. 1 ता 4 की ओर से

निर्णय

उपरोक्त उनवानी रिव्यू प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 86 लैण्ड रेवन्यु एक्ट बाबत निर्णय दिनांक 02.08.2024 मु0न0 05 / 2024 मे अप्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि उपरोक्त उनवानी रिव्यू प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण द्वारा बिना किसी अधिकार के प्रस्तुत किया है। प्रार्थीगण को [illegible] अधिकार नही था उसके बाबजूद भी यह प्रार्थना पत्र बिना किसी अधि[illegible] मियाद बाहर प्रस्तुत किया गया है जबकि धारा 90 बी की कार्यवाही संभागीय आयुक्त भरतपुर द्वारा ही निरस्त की जा चुकी है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत [illegible] निवेदन है कि प्रार्थना पत्र रिव्यू खारिज फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2026.02.27 15:32:58 IST
Reason: SelfAttested

इस प्रार्थना पत्र के जबाब में प्रार्थीगण ने अंकित किया है कि मुकदमा जौहरी नाथ बनाम अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका गंगापुर सिटी अपील संख्या 42 / 2012 मे माननीय संभागीय आयुक्त महोदय द्वारा यह आदेश पारित किया गया था कि अपीलार्थीगण को सुनवाई व साक्ष्य का अवसर देने के पश्चात नये सिरे से आदेश पारित करे जबकि उक्त प्रकरण मे बिना सुनवाई

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

का अवसर दिये एवं मौके की रिपोर्ट मंगवाये बिना ही एकपक्षीय आदेश पारित किया गया है। भूमि वर्तमान मे आबादी के काम आ रही है जिसमे करीब 100 से अधिक पक्के मकान बने हुए है जिनमे परिवारसहित लोग रहते आ रहे है। उक्त वादग्रस्त भूमि को सन 1988 मे ही ब्रह्मसिंह पुत्र मुख्यतार सिंह गुर्जर को पॉच रूपये के स्टाम्प पर विक्रय कर कब्जा संभला दिया था एवं खातेदारान का इस भूमि से कोई सम्बन्ध नही रहा। खातेदारान ने यह कार्यवाही तथ्यों को छिपाकर करवायी है। मामले मे प्रार्थीगण प्रभावित पक्षकार है इसलिए रिव्यू का प्रार्थना पत्र एवं धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अप्रार्थीगण द्वारा धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र का कोई जबाब भी प्रस्तुत नही किया गया हैं। प्रार्थना पत्र पर बहस के उपरांत ही मियाद का बिन्दू निस्तारित हो सकेगा। अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र संचलन योग्य नही है। प्रकरण मे प्रार्थीगण ने मौका रिपोर्ट मंगवाने का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया हुआ है। अतः जबाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण खारिज फरमाया जावें।

प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी पर उभयपक्ष के विद्धान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

अप्रार्थीगण के विद्धान अभिभाषक ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के अनुरूप बहस करते हुए कहा कि माननीय संभागीय आयुक्त भरतपुर द्वारा श्रीमानजी का आदेश दिनांक 2.3.2001 को दिनांक 31.1.2018 को निरस्त कर दिया गया है एवं अपीलांट को सुनवाई का अवसर देने को निर्देश दिया गया है। जिसकी पालना मे श्रीमानजी द्वारा अपीलांट को सुना जाकर दिनांक 2.8.2024 को श्रीमानजी के न्यायालय के निर्णय दिनांक 2.3.2001 से पूर्व की स्थिति राजस्व अभिलेख मे कायम करने का आदेश दिया गया है। श्रीमानजी के इसी आदेश के विरूद्ध प्रार्थीगण ने यह रिव्यू प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो विधि विरूद्ध है क्योकि जब मूल आदेश दिनांक 2.3.2001 को ही श्रीमान संभागीय आयुक्त भरतपुर द्वारा निरस्त किया जा चुका है तो अब इस न्यायालय मे रिव्यू की कोई संभावना ही नही रहती है। इसलिए रिव्यू प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। अपने कथन के समर्थन मे न्याय दृष्टांत आर.आर. टी. 2014 (2) पेज 1162 प्रस्तुत किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2026.02.27 15:32:58 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीगण के विद्धान अभिभाषक ने अपने प्रार्थना पत्र के अनुरूप बहस करते हुए कहा कि अपीलीय न्यायालय द्वारा उभयपक्ष की सुनवाई के उपरांत निर्णय पारित करने के निर्देश दिये थे लेकिन न्यायालय ने दोनो पक्षों को सुने बिना ही निर्णय पारित किया है और ना ही मौके की रिपोर्ट मंगवाई गई है। वर्तमान मे मौके पर घनी आबादी बसी हुई है और प्रकरण का निर्णय सुनवाई के उपरांत ही किया जावे। इस कारण अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी खारिज किये जाने योग्य है।

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि इस न्यायालय के निर्णय दि0 2.3.2001, जो धारा 90 बी एल0आर0एक्ट की पत्रावली में पारित किया गया था के विरूद्ध जौहरी नाथ ने श्रीमान् संभागीय आयुक्त महोदय भरतपुर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की थी जो श्रीमान् संभागीय आयुक्त महोदय भरतपुर के निर्णय दिनांक 31.01.2018 द्वारा स्वीकार कर ली गई एवं इस न्यायालय का निर्णय दिनांक 2.3.2001 निरस्त कर दिया एवं इस न्यायालय को निर्देश दिए गए कि अपीलांट को सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर देकर गुणवगुण के आधार पर निर्णय पारित करें। श्रीमान् संभागीय आयुक्त महोदय भरतपुर के इस निर्णय की पालना में अपीलांट को सुना जाकर दिनांक 2.8.2024 को इस न्यायालय द्वारा भूमि ख0नं0 5488 ग्राम उदेईकलां की इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 2.3.2001 से पूर्व की स्थिति राजस्व अभिलेख में कायम करने का आदेश दे दिया गया। इस आदेश के विरूद्ध प्रार्थीगण ने यह रिव्यू प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो विधि विरूद्ध है क्योंकि धारा 90 बी लैण्ड रेवेन्यु एक्ट के तहत आदेश दिनांक 2.3.2001 को श्रीमान् संभागीय आयुक्त महोदय भरतपुर द्वारा निरस्त किया जा चुका था एवं इस निर्णय में दिए गए निर्देशानुसार अपीलांट को सुना जाकर ही भूमि ख0नं0 5488 ग्राम उदेईकलां की दिनांक 2.3.2001 से पूर्व की स्थिति राजस्व रिकार्ड में अंकित करने का आदेश दिए गए हैं। इस प्रकार इस न्यायालय द्वारा पृथक से कोई नवीन आदेश नहीं दिया जाकर मात्र श्रीमान् संभागीय आयुक्त महोदय भरतपुर के आदेश की ही पालना की गई है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत यह रिव्यु प्रार्थना पत्र विधि के प्रावधानों से बाधित होने के कारण चलने योग्य नहीं है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार अप्रार्थीगण धारासिंह वगैरा की ओर से दिनांक 30.1.2026 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 स्वीकार किया जाता है एवं प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत रिव्यू प्रार्थना पत्र विधि से बाधित होने के कारण खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसलशुमार होकर [illegible] बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 18-2-2[illegible] को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2026.02.27 15:32:58 IST
Reason: SelfAttested

([illegible]जेन्द्र मीना)
उप जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)